



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195]
No. 195]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 1978/आश्विन 12, 1900
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 1978/ASVINA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या 72-आई० टी० सी० (पी० एन०)/78

आयात-व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1978

विषय :—1977-78 के लिए 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार बी० एम० के प० जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू शर्तें।

सं० आई० पी० सी० 39/10/76 :—1977-78 के लिए 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार बी० एम० के प० जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जो शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचनाओं अधिसूचित की जाती हैं।

का० वें० शेषाद्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 72-आई० टी० सी० (पी० एन०)/78 दिनांक 4-10-1978 का परिशिष्ट।

1977-78 के लिए 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार बी० एम० के पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों से संलग्न शर्तें।

बंद-आमाप्य शर्तें

1. (1) ये शर्तें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा आयात के ऐसे मामलों के लिए लागू होंगी जो भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति

द्वारा 1977-78 के लिए 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार बी० एम० के पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन वित्तवान के लिए अनुमोदित कर दिए गए हों।

(2) जिस मामले में पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया आर्बंटन का मूल्य 10 लाख बी० एम० के तुल्य रूप से अधिक होता है [सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड 15 के अन्तर्गत राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर निर्धारित करके तुल्य रूप से] उसमें आर्बंटन के लिए प० जर्मनी के प्राधिकारियों (क्रेडिटान्स-टाल्ट फुरबी डीफनाह (के० एफ० डब्ल्यू०) की पूर्ण सहमति आवश्यक है, और यह सहमति भारतीय आयातक द्वारा अनुबंध-1 के प्रपत्र में दिए गए परियोजना आंकड़ों के आधार पर आधिकार्य विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। जब तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों से सहमति आधिकार्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों (मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात) को नहीं भेज दी जाती है तब तक भारतीय आयातक को कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।

(3) लाइसेंस पर "1977-78 के लिए 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार बी० एम० पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट" अभिलेख अंकित किया जाएगा प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लाइसेंस संकेत "एस०/जी० एम०" होगी। ये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस को अशेषित करने वाले पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

(4) बैंक खर्च जो सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं, के अतिरिक्त आयात लाइसेंस के प्रति विदेशी मुद्रा के किसी घन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेंट का कमीशन, यदि कोई होगा, तो उसके भुगतान एजेंटों को भारत में भारतीय रूप में करने चाहिए, लेकिन ऐसा भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही भाग होगा और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किया जाएगा।

(5) इस आयात लाइसेंस के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले माल और संबंधित सेवाएं बर्लिन लैंड या अन्य किसी देश सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से आयात किए जा सकते हैं। इसलिए विदेशी संभरक संविदा को पूर्ण करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो तीसरे देश से सामान आदि अधिप्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(6) जिस न्यूनतम मूल्य के लिए इस क्रेडिट के अधीन एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह 30,000 डी० एम० के रूप के बराबर है (राजस्व सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर गिन कर तुल्य रूप्या) मुद्रा विनिमय की यह दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट होनी चाहिए।

(7) लेकिन आयात लाइसेंस लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर 24 महीने या नीचे पैरा 2 (12) में यथा निर्दिष्ट पोतलदान की अन्तिम तिथि इनमें जो भी कम हो उस तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ इस शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस की न्यूनतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि से 12 महीने होगी।

(8) पक्के आदेश (जिसका अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरक को क्रय आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश का पुष्टिकरण या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा) आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर ही अवश्य निर्णित हो जाने चाहिए [देखिए नीचे का पैरा 1 (9)] समुद्र पार संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं को आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टि आदेश स्वीकार्य नहीं है।

(9) यदि उपर्युक्त पैरा 1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों की समय सीमा के भीतर निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंस धारी को आदेश देने की अवधि में वृद्धि मांगते हुए एक प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० सी० आई० एण्ड ई०) को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को जैसे भी मामला हो, इस बात का औचित्य और स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकें। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा गुणाबगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि तक वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निश्चयात्मक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई०-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो ऐसी वृद्धि के प्रत्येक मामले का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और अपने निर्णय को लाइसेंस प्राधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिए भेजेंगे। केवल लाइसेंस प्राधिकारी वृद्धि की मंजूरी प्रदान करने वाले ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही विदेशी मुद्रा की प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी, साख् पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, तुल्य रूप्य एमा करने की स्वीकृति आदि की सुविधा की अनुमति देंगे।

(10) लाइसेंसधारी को अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्के आदेश की आदेश देने की निर्धारित अवधि के भीतर अन्तिम रूप दे दिया जाता है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता, उनमें लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी/सम्बद्ध विभागीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी चार महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

(11) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, उनमें लाइसेंसधारी

के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस के आदेश न दिए गए ऐसे शेष मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा 1 (9) में यथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करे।

खंड-2: क्रय संविदाएं निर्णीत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विशेष तथ्य।

2. (1) संविदा कीमत विशेष रूप से उसी देश की मुद्रा में अभिव्यक्त होनी चाहिए जिसमें विदेशी संभरक रहता है। संविदा कीमत निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी उपबन्ध की अनुमति नहीं होगी। यदि विदेशी संभरक के किसी भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो वह भारत में भारतीय रुपये में देय लागत की मद के रूप में संविदा में अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसलिए विदेशी संभरक को विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि भारतीय एजेंट के ऐसे कमीशन से अलग प्रदर्शित होनी चाहिए। आयात लाइसेंस के आधार पर जिस मूल्य तक क्रय आदेश दिए जा सकते हैं। उस मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित की गई और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 78-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकलित किया जाना चाहिए।

2. (2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश या तो लागत बीमा भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामलों में आदेश केवल लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिये।

2. (3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के अधीन क्रय संविदाएं विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद करनी चाहिए। इस संबंध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक, भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति द्वारा यथा अनुमोदित अपनी पसंद के किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

2. (4) अर्हक संविदा के लिए न्यूनतम मूल्य—बशर्त कि एक आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदा का समस्त मूल्य 30,000 डी एम से कम (उन खरीद के मामले में जो पूर्णतया जर्मनी गणतंत्र संघ से किए गए हैं) या 30,000 डी एम के बराबर (उन मामलों में जहां जर्मनी गणतंत्र संघ से भिन्न देशों से खरीद पूर्णतया या अंशतः किए गए हैं) होना चाहिए तो आयातक के लिए यह स्वीकृत है कि वह 30,000 डी एम से कम या 30,000 डी एम के बराबर अलग-अलग संविदाएं करें। किन्तु एक आयात लाइसेंस के अधीन उन क्रय संविदाओं के मामले में जिनका मूल्य डी एम 10,00,000 के बराबर से अधिक नहीं होता तो यह नीचे की कंडिका 2(13) में निर्धारित शर्त के अधीन है।

2. (5) आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदाओं का भारत सरकार और क्रेडिटान्सटाल्ट कर वीडोफबाऊ (के एफ डब्ल्यू) (पश्चिमी जर्मनी विकास बैंक जिसके माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार डी एम का पूंजीगत माल क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है और इसीलिए क्रय संविदा में इस संबंध में एक विशेष धारा समाविष्ट करनी चाहिए।

(क) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य विभाग 10 लाख डी एम के बराबर रुपये या इसमें कम हो (राजस्व "सीमाशुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित), के मामले में संविदाओं को अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देते हुए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू को एक बार ही संविदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कार्रवाई कर सकता

है जैसा कि के एफ डब्ल्यू द्वारा संविदा अनुमोदित कर दी गई हो और यह कार्रवाई तब तक कर सकता है जब तक कि के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति नहीं करता, के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति करेगा तो वह सही ढंग से आयातक को सूचित कर दी जाएगी।

- (ख) आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिनका मूल्य 10 लाख डी एम के बराबर रुपये की धनराशि से अधिक हो (राजस्व "सीमाशुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर संगणित), के मामले में पहले भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष रूप से भारतीय आयातक को भेजा जाएगा और जब तक यह ऐसा न हो तब तक संविदाएं अन्तिम समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) के साथ क्रयसंविदा की तीन प्रतियां इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग कमरा नं० 269 नार्थ ब्लॉक) को क्रय संविदा के निर्णीत होनी की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी आवश्यक है कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद ही आवेदन दिए गए हैं।

2. (6) जिस मामले में संविदा लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक तदनुसार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और सम्बन्ध बीमा कम्पनी से उस संबंध में एक वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो वह डी एम में सीधे के एफ डब्ल्यू को किया जाएगा (ब्यूटशे बन्देस्वैक फ्रैक्फर्ट मेन की लेखा संख्या 50409100)।

2. (7) जिस मामले में संविदाएं लागत और बीमा भाड़ा के आधार पर की गई हैं, उसमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ करना चाहिए और तदनुसार बीमा किस्त भारतीय रुपए में चुकानी चाहिए। लेकिन आयातक को भारतीय बीमा कम्पनी से निम्नलिखित वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसकी संविदा वस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग) को भेजनी चाहिए। "इन विदेशी संभरकों को उस क्षति या टूट फूट की प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में धनप्रेषण करके करेंगे जो माल की हो सकती है।"

2. (8) कुंफि संविदाएं उपर्युक्त पैरा 2(2) के अनुसार या तो लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए चाहे भारतीय जहाज भी क्यों न उपयोग किए गए हों फिर भी विदेशी मुद्रा में भाड़ा खर्चा चुकाने के लिए विदेशी संभरक को उत्तरदायी बनाना चाहिए। भाड़ा-खर्चा किसी भी परिस्थिति में भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए।

2. (9) लाइसेंस के प्रति विदेशी संभरकों को भुगतान नीचे खंड-3 में यथा उल्लिखित विशेष साख पत्र के माध्यम से किए जाएंगे और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन प्रेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. (10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहां तक संबंध है, इस विषय में क्रय संविदा के अधीन माल के पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी पार्टी ही बाहनों को चुनने के लिए स्वतन्त्र होगी। पोतलदान जिस देश में संभरक बनाए गए हैं वहां से या तीसरे देश से किया जा सकता है।

2. (11) बर्लिन सैंड सहित जर्मनी गणतन्त्र संघ से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य 10 लाख डी एम से अधिक है उनके लिए, या

अन्य देशों से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य 10 लाख डी एम के बराबर या डी एम से अधिक है उनके लिए संभारित किए गए माल के निष्पादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निष्पादन गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए क्रय संविदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। (अन्य संविदाओं के मामले में अर्थात् उन संविदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निविष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे विदेशी संभरक से निष्पादन गारंटी की आवश्यकता है या नहीं) लेकिन गारंटी निष्पादन का प्रारूप भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है। लेकिन, भारतीय आयातक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निष्पादन गारंटी से उत्पन्न यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उस को देय हो तो उसका करार क्रेडिटस्टाटफ फर वीडोफनाऊ (ज्यूटेश बन्देस्वैक फ्रैक्फर्ट/मेन की लेखा संख्या 50409100) से सीधे किया जाना चाहिए।

2. (12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान 31-12-1980 तक पूर्ण हो जाने चाहिए। इसलिए क्रय आवेदन/संविदाओं में पोतलदानों को पूर्ण करने और 31-12-1980 तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होना चाहिए। यदि किसी मामले में यह आशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो पर्याप्त औचित्य देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय वृद्धि के लिए 31 दिसम्बर, 1977 तक आवेदन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. (13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य 10 लाख डी एम के बराबर रुपये से अधिक नहीं होता है, उनके मामले में भारतीय आयातक द्वारा क्रय संविदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार में प्रस्तुत करना आवश्यक है। संविदाओं को खंडों में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2(4) में वर्णित अर्हक संविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यात में रखना चाहिए।

खंड-3 विदेशी संभरकों को भुगतान—"विशेष" साखपत्र क्रियाविधि।

3. (1) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र:—जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य 10 लाख डी एम के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति संभरकों के साथ क्रय संविदाएं निर्णीत हो जाने के 15 दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी एम के बराबर रुपए से अधिक होता है (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति की गई संविदाओं के के० एफ० डब्ल्यू० के अनुमोदन की सूचना देते हुए भारत सरकार के पत्र [लिखिते उपर्युक्त पैरा 2(5)(ग)] की तिथि से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी सम्बन्ध विदेशी संभरक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को निम्नलिखित वस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

(क) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य 10 लाख डी एम के मूल्य रुपए से अधिक नहीं होता उनके लिए की गई संविदाओं के संबंध में:—

(1) क्रय आवेदन की तीन प्रतियां, और विदेशी संभरकों द्वारा क्रय आवेदन के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो क्रमशः आयातक एवं संभरकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो-प्रतियां साक्षात्कृत प्रतियां या

भारतीय अभिकर्ताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य नहीं है।

या

त्रय संविदा की तीन प्रतियां, भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित या उनकी फोटो प्रतियां साक्ष्यांकित प्रतियां या भारतीय अभिकर्ताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य है।

- (2) अनुबन्ध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र (दो प्रतियों में)।
- (3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबन्ध-3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में लागू नहीं)।
- (4) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी से एक वचनपत्र की तीन प्रतियां देखिये उपर्युक्त पैरा 2(7)।
- (5) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाण पत्र कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियाँ प्राप्त करने के बाद आदेश दिए गए हैं, देखिये उपर्युक्त पैरा 2(3); और
- (6) इस संबंध में एक प्रमाण पत्र कि लाइसेंस के अधीन आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी, देखिये उपर्युक्त पैरा 2(13)।

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी० एम० के तुल्य रूप से अधिक होता है उसके प्रति की गई संविदाओं के संबंध में:— पहले भेजे गए संविदा दस्तावेजों (जिनके संबंध में के०एफ०डब्ल्यू० का अनुमोदन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। देखिये उपर्युक्त 2(5) (ग), के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:—

- (1) अनुबन्ध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में);
- (2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबन्ध-3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी। (सार्वजनिक क्षेत्र के आयात के मामले में लागू नहीं); और
- (3) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी से वचनपत्र की तीन प्रतियां, देखिये उपर्युक्त पैरा 2(7)।

3. (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

3. (3) साख पत्र खोलना—साख पत्र इस प्रयोजन के लिए पश्चिम जर्मनी में मनोनीत निम्नलिखित सात बैंकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकार पत्र के बल पर खोला जा सकता है:—

- (1) दि बेयारिये वेरिन्स बैंक, मुनिख।
- (2) दि कामर्ज बैंक, ए०जी०, फ्रैंकफर्ट।
- (3) दि ड्यूबोने बैंक, ए०जी०, हम्बर्ग।
- (4) दि ड्रेस्डनर बैंक, ए०जी० जगकर्नस्टीफ हम्बर्ग।
- (5) बर्लिनर हेन्डिस गोसलशेफ फ्रैंकफर्ट बैंक।
- (6) स्टेट बैंक ऑफ हंडिया फ्रैंकफर्ट।
- (7) वेरिन्स एण्ड वेस्ट बैंक, हम्बर्ग।

आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के) और उनके बैंकों को उपर्युक्त पैरा 3(3) में उल्लिखित सात बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

(4) (क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी०एम० के बराबर रुपया या इससे कम है उसके प्रति आदेशों के मामले में पक्के आदेश देने की तिथि से या—(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य 10 लाख डी०एम० के बराबर रूप से अधिक है उसके प्रति संविदा के मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संविदा के अनुमोदन के पत्र की तिथि से इन में जो भी मामला हो उसमें 15 दिनों के भीतर प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन समझा जाए।

3. (5) बैंक गारंटी—वह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित करना चाहिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी जिस धनराशि के लिए विदेशी मुद्रा में साख पत्र माँगा गया है उसके मूल्य रूप की छोटक धनराशि के लिए और प्रासंगिक तथा वचनबद्धता खर्चों और इसके अतिरिक्त व्याज तथा अनुबन्ध 5 में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों के लिए इस धनराशि के 1 प्रतिशत के लिए होनी चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर-सोमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 15 के अन्तर्गत राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर और सार्वजनिक सूचना सं० 78 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 6-6-74 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट दर होगी। इस दर का तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है। लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेख में रुपया विनियोजन करने के लिए तुल्य रूप की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करते समय जर्मन बैंक द्वारा खर्च की गई डी०एम० धनराशि के लिए मिश्रित दर पर करनी होगी अर्थात् या तो डी०एम० में, यदि विदेशी संभरक पश्चिमी (बर्लिन लैंड महित) में रहता है या समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 28-1-72, सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 21-7-72 और 8-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान को प्रभावी करने के लिए डी०एम० धनराशि में आगे नोटिस जारी होने तक इस सम्बन्ध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा।

3. (6) प्राधिकार पत्र जारी करना—यदि उपर्युक्त पैरा 3(1) में निर्दिष्ट दस्तावेज मही पाए जाएंगे तो पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में आयातक को भारतीय बैंक द्वारा खोले जाने वाले 'विशेष' साख पत्र के आधार पर विदेशी संभरकों को निर्धारित धनराशि तक भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए वित्त मंत्रालय (लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक), आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक डिस्ट्रिक्ट, पालियासंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक को एक प्राधिकार पत्र (अनुबन्ध-4 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकार पत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। एक प्राधिकार पत्र उसी एक प्रति के साथ साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को इसके द्वारा खोले गए साख पत्र के साथ मूल प्राधिकार को पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक को भेजने के लिए आदेश देते हुए भेजा जाएगा (ऐसा निर्देशन अनुबन्ध-5 के अनुसार होगा)। इसके एक प्रति आयातक को भी भेजी जाएगी।

जब तक इन पैरे में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र भारतीय बैंक ने सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से सीधे प्राप्त कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साख पत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी को सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।

3 (7) पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक में 'विशेष' साख पत्र प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

यू०सी०सी० बैंक ब्रिडिंग, पालियामेंट, स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए खोला जाना चाहिए। अथवा पहले ही जारी किया गया प्राधिकार पत्र वैध नहीं समझा जाएगा।

3. (8) अपेक्षित दस्तावेजों और विवरण पत्रों की एकत्र करने पर पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विदेशी संभरकों को भुगतान किए जाएंगे। जिस मामले में विदेशी संभरक जर्मनी गणतंत्र संघ (बलिन लैंड सहित) से अन्य देश में रहता है उसमें भी समझौते की आसन्नता और दस्तावेजों का भुगतान पश्चिम जर्मनी में 'नामित वाणिज्य' बैंक द्वारा किए जाएंगे। पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक पश्चिम जर्मनी प्राधिकारियों से डी०एम० धनराशि की अवायगी प्राप्त करेगा। जर्मनी गणतंत्र संघ से अन्य देशों द्वारा संभरण के मामले में पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक विदेशी संभरकों को जिस देश में वे रहते हैं उसी देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई धनराशि की अवायगी डी०एम० जर्मनी के प्राधिकारियों से प्राप्त करेगा।

3. (9) जर्मनी गणतंत्र संघ में भुगतान के लिए और तीसरे देश में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी जर्मनी के बैंक द्वारा किए गए आनुवंशिक बैंक खर्चें जिस मामले में भी लागू होंगे, वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक को सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना प्रेषित किए जाएंगे।

खंड-4 सरकार के लेखे में रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व (1) बलिन लैंड सहित पश्चिम जर्मनी से और अन्य देशों से आयातों के दानों में पश्चिम जर्मनी के नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मूल लेदाम दस्तावेज भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजने चाहिए जो दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परकाय्ये दस्तावेजों के सेट को लाइसेंसधारी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि पश्चिम जर्मनी नामित वाणिज्य बैंक द्वारा जर्मनी के संभरकों को चुकाई गई डी०एम० धनराशि के बराबर रुपया या जर्मनी के सम्बद्ध बैंक द्वारा तीसरे देश में संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने में खर्च की गई डी०एम० धनराशि और इसका 1 प्रतिशत आनुवंशिक का और वचनबद्धता खर्चों के लिए और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिलाकर) की अवधि के लिए उपर्युक्त कुल धनराशि व्याज खर्चें आयातक से प्राप्त कर लिए जाते हैं और सरकारी लेखे में जमा किए गए हैं। सार्वजनिक सूचना सं० 46 आई०टी० सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार व्याज खर्चों की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी, 15 जून 1976 को या इसके बाद सरकारी लेखे में जमा करने की तारीख:-

प्रति वर्ष

- | | |
|---|------------|
| (1) जहाँ संभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर निक्षेप किए जाते हैं | 9 प्रतिशत |
| (2) जहाँ संभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के बाद निक्षेप किए जाते हैं | 10 प्रतिशत |
| (क) पहले 30 दिनों के लिए | 9 प्रतिशत |
| (ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए | 15 प्रतिशत |

विदेशी संभरकों को विदेशी मुद्रा के तुल्य रुपए में किए गए भुगतान की गणना के लिए भ्रान्ति जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मिली जुली दर होगी या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हो सकती है। भारतीय संबद्ध बैंक की यह जिम्मेवारी होगी की आयातकों को मूल पोतलदान दस्तावेजों के सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चय कराए कि देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी गई है।*

*लाइसेंसधारी

4. (2) उपर्युक्त 4(1) में विचार किए गए निक्षेपों की धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हज़ारी दिल्ली में नकद में जमा की जा सकती है या यदि वह सुविधाजनक न हो तो वह धनराशि एजेंट बैंक आफ इंडिया, तीस हज़ारी, विल्लो-7 के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना संख्या 74 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31 मई 1974 और सार्वजनिक सूचना सं० 132 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 5 अक्टूबर 1971 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 24 अक्टूबर 1968 के अनुसार अपेक्षित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनराशि जमा करने के लिए लेखा शीर्ष के "डिपोजिट्स एण्ड एडवॉन्सिज-बैंको" डिपोजिट्स नोट बियरिंग इन्टरेस्ट 843-सिडिल डिपोजिट्स डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्सेट्टा व एक्सेट्ट डायरेक्ट पेमेण्ट प्रोसीजर डिपोजिट्स फारफोस्ट आफ सप्लाईज एण्ड एक्विपमेन्ट आक्टैन्ड अन्डर दि वेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स क्रेडिट फार 1977-78 (डी०एम० 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार) है।

4. (3) धन परेषण सार्वजनिक सूचना सं० 74 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित किए गए चालान प्रपत्र द्वारा किये जाएंगे।

4. (4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हज़ारी दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हज़ारी दिल्ली-6 को डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना, जिस भारतीय बैंक ने गारंटी जारी की है उसके द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक ब्रिडिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को पश्चिम जर्मनी के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना टिप्पणियों का पूर्ण ध्योरा देते हुए अग्रप्रेषण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

4. (5) केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा करने और सार्वजनिक सूचना संख्या 184 आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्हीं से लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी पृष्ठांकित कराना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित "एस" प्रपत्र भी भरना चाहिये।

4. (6) एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने के बाद और देय सभी धनराशि आयातकों/बैंकों द्वारा सरकारी लेखे में जमा कर देने पर प्राप्त किए गए आयात माल और जमा किए गए रुपए के ध्योरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली-1 को अनुबंध-8 में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय उनका सत्यापन करके, जहाँ आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को रिहा करने के लिए व्यवस्था कर सके।

खंड-5 संविदा में परिवर्तन

संविदाओं में माल की सूची, शर्तों या भुगतान की अनुसूची, माल के मूल्य आदि से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के० एफ० डब्ल्यू प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके परिणाम स्वरूप चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसकी स्थगित करना पड़े।

आयातकों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2(5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकार/के० एफ० डब्ल्यू के अनुमोदन के लिए कार्रवाई हेतु ऐसे परिवर्तन की सूचना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग नार्थ ब्लाक) को तुरन्त देनी चाहिए।

खंड-6 रिपोर्ट सेजना

आवेश देने, माल की सुगुदगी, विदेशी संभरकों को भुगतान आदि को प्रवर्धित करते हुए लाइसेंस के जारी होने की तिथि से प्रारम्भ करके

अनुबंध-7 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट दो प्रतियों में वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग (इन्फ्रू-ई-1 अनुभाग, कमरा नं० 269 नार्थ ब्लॉक,) नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसकी भेजना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि संविदा के अधीन सभी पोतलवान और सभी भुगतान पूर्ण न कर लिए जाएं। दस लाख डी.एम. के तुल्य रूप (राजस्व 'सीमाशुल्क' विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) से अधिक के आबंटन के मामले में ऊपर उल्लिखित त्रैमासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबंध 8 में निर्धारित प्रपत्र में एक अर्ध वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी यदि कोई विशेष घटना हो तो उस पर, परियोजना को प्रगति पर और परियोजना को पूर्ण करने के लिए सूय समय अनुसूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आयात करने वाली भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें (दो प्रतियाँ) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम तीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

खंड-7 विधि शर्तें

(1) लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी शर्त से संभरक को अवगत कराना ही चाहिए जो जैन-देन का अनुपालन करने में संभरकों को प्रभावित करे।

7 (2) विवाद :— यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयातक और विदेशी संभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

7 (3) अनुदेशों का पालन :— आयात लाइसेंस से संबंधित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के संबंध में के० एफ० इन्फ्रू प्राधिकारियों के साथ 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार डी०एम० के पूंजीगत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों को करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निवेश, अनुदेश और आदेश का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7 (4) अतिक्रमण या उल्लंघन :— उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7 (5) अनुधियों की अनुसूची :—

- अनुबंध—1 परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र
- अनुबंध—2 प्राधिकार पत्र की जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र
- अनुबंध—3 बैंक गारंटी का प्रपत्र
- अनुबंध—4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
- अनुबंध—5 प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र
- अनुबंध—6 बैंक गारंटी की रिहाई के लिए रुपया निक्षेपों की रिपोर्ट व आवेदन पत्र का प्रपत्र
- अनुबंध—7 त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
- अनुबंध—8

(अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र 1 लाख डी.एम. के बराबर रूप से अधिक के मामले के लिए लागू है।)

अनुबंध—1

परियोजना आंकड़ा प्रपत्र
क्रेडिटस्टास्ट फर या इन्फ्रूपन्वेक

6. फ्रेन्कफर्ट में, जर्मनी संघीय गणराज्य पार्लामेन्ट गैरिटेन्सट्रेसी 5-9

जर्मन पूंजीगत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए
आवेदन पत्र
परियोजना आंकड़ा

(1) आवेदक (फर्म)।

- (क) पूंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पता)
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र संस्थाप

(ग) व्यापार लाइन/उद्योग की शाखा

(घ) कंपनी के भागीदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) अर्धयुक्त किये जाने वाले पूंजीगत माल की क्रम

(3) पूंजीगत माल के चुनाव का आधार :—रुपया अपनाई गई प्राण क्रियाविधि का संकेत करें। चूंकि पूंजीगत माल ऋण किसी भी देश से खरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इस संबंध में संकेत किया जाना चाहिये आया कि विभिन्न देशों में निविदा पूछताछ की गई/चालू की गई थी और वह आधार क्या है जिसके लिए विशेष संभरक का चुनाव किया गया है।

(4) संभरक (नाम और पता)

(5) सम्पूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित आंकड़ों के विश्लेषण के साथ सम्पूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कोमत :—

—भूमि एवं भवन

—मशीनरी एवं उपकरण

—परिचालन निधि

—विविध

(7) सम्पूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्त्रोत (वित्तदाता के साधनों से संबंधित मात्रिक विवरण। इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि रकमा—वित्तदाता सुरक्षित है और इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत न आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती है)।

(8) प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र

(9) संयुक्त-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेख के साथ गत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट। यदि उपलब्ध हो तो नकली-गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) क्षमता।

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उपयोग

(ख) उपयोगाधीन के मामले में रूपया मुख्य कारण दें।

(11) बिक्री (गत दो वर्षों की)

(12) विनिर्माण किए जाने वाले उत्पादों की मार्केट स्थिति (यदि संभव हो तो भूत एवं सम्भावी विकास के आंकड़ों को प्रदर्शित करें)।

(13) रोजगार

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी।

(14) कच्चे माल के संभरण स्त्रोत

(15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारिणी।

अनुबन्ध—2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए निवेदन

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-1

विषय :- 1977-78 (डी एम 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार) के लिए
पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत से
..... का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत
..... से का आयात करने के संबंध में हम निम्न-
लिखित व्योरा आपको देते हैं ताकि आप के माध्यम से
वैयरिस्से वेरेंस म्युनिख अथवा कामर्ज बैंक ए० जी० फ्रैंकफर्ट अथवा इयूत्सखे
बैंक ए० जी० हम्बर्ग अथवा ड्रेसडेनर बैंक ए० जी० जंगफरस्टीफ, हम्बर्ग
अथवा फ्रैंकफर्ट बैंक, फ्रैंकफर्ट/एएम मेन या स्टेट बैंक आफ इण्डिया फ्रैंकफर्ट
या वेरेंस एण्ड वेस्ट बैंक, हम्बर्ग में साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार
जारी कर सकें।

(क) आयातक का नाम और पता :

- (1) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र संस्थान का
- (2) उद्योग की श्रेणी जिससे वह संबंध रखता है
- (3) वह राज्य जिसमें स्थित है।

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की फोटो प्रति
संलग्न की जानी चाहिए)।

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् (लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा) (किसी
भी मामलों में केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकार
पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए) को दर्शाते हुए
संभरक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए आदेशों का विदेशी
मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि पक्के आदेश (संभरक के पुष्टिकरण
आदेश के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से चार
मास के भीतर दे दिए गए हैं। यदि 4 मास की निर्धारित अवधि
के बाद आदेश दिए गए हैं तो जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात के पत्र/वित्त मंत्रालय के पत्र की एक प्रति जिसमें
आदेश देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है,
संलग्न की जानी चाहिए।

(ङ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाणपत्र कि समुद्र पार संभरकों
से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद पक्के आदेश दिए गए
हैं और यह कि न्यूनतम उपयुक्त तकनीकी दाम स्वीकार कर लिए
गए हैं। यदि तुलनात्मक बोली प्राप्त करना संभव नहीं है जैसे
एकाधिकार मद, तो इसके लिए पूरे औचित्य दिए जाने चाहिए।

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(छ) वास्तविक विदेशी मुद्रा में वह धनराशि (उस देश की मुद्रा में व्यक्त
किया जाना है जिसमें संभरक रहता हो) जिसके लिए प्राधिकार
पत्र की मांग की गई है (अभिरक्षण के कमीशन को छोड़कर)।

(ज) विदेशी मुद्रा में अभिरक्षण के कमीशन की धनराशि और भारतीय
अधिकर्ता का नाम और पता।

(झ) ऐसे मामले में जहां संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित
है, तो संभरक के उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसमें वेस्ट
जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जाती है।

(ञ) सुपुर्दगीपूर्ण करने की अनुमानित तिथि।

(ट) संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ने वाली सम्भावित तिथि
को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

(ठ) 1 मिलियन डीएम के बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले
में यह बताने हुए एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि आयात
लाइसेंस के मद्दे सभी संविदाएं पूरी कर दी गई हैं और आगे कोई
भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा।

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुसूचि बैंक का नाम
और पता) और ऊपर उल्लि-
खित बैंक द्वारा के लिए दी गई बैंक
गारंटी संख्या दिनांक
और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प
कलक्टर द्वारा विधिवत व्याप्त की गई है, संलग्न है।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी)

प्रति बैंक को सूचनाार्थ प्रेषित।

अनुबन्ध—3

गारंटी बौण्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया)
पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट 1977-78 की शर्तों के अनुसार तथा
ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण
में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस
संख्या का पालन करते हुए
..... के द्वारा (बाद में इसे "आयातक" कहा गया है) के आयात
के लिए भुगतान के लिए राजी होते हुए (विदेशी मुद्रा में उपर्युक्त धन
राशि का संकेत करें)। आयात के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत
..... (वेस्ट जर्मनी में वाणिज्यिक बैंक का नाम)
बैंक द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन
की चालू परिवर्तित दर पर जो इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा
जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकल्पित किया जाता है और इसके साथ
1 प्रतिशत की विदेशी संभरक को किए भुगतान की तारीख को सरकारी
लेखों में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक प्रथम
30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि
के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से व्याज के साथ भुगतान के
परामर्श की पावती की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत
सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष
के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है
व्यवस्था करने का भार लेते हैं। वेस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक
द्वारा, प्राप्त आयात प्रलेखों का परिकल्प्य सेट आयातक को केवल तभी
लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपये जमा कर लिए गए हैं।

2 हम दि बैंक,

सरकार जहां और जैसा भी, समय-समय पर निदेश दे, आयातक द्वारा
समय-समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे
वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई भी अंश जो
आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है,

जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान करने की तारीख से हम पर प्रथम तीस दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिमाब से ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो ६०, से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी, तो उसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे बैंक द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर बैंक के लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविधा के अन्तर्गत मिला जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अथवा माल छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि इस गारंटी में जो कुछ निहित है, वे उल्लिखित करार संविधा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और उसे सब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया वैध चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या बि बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और बि बैंक पर लागू होने के योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और उपर्युक्त मामले के सन्दर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानतों से संबंधित हो बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. अंत में हम बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना, मुद्रा काल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत रुपये (इसमें ब्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इस गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और यह बि मास* 197 तक, जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अन्तर्गत मांगें पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाव दूसरे छः माह के भीतर अर्थात् तक उनकी मांगों के लिए मुकद्मा या कार्रवाई लागू न हों जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और

हम लोग हमके अन्तर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

..... दिन का दिनांक
..... वास्ते श्री

बैंक लि

के द्वारा (नाम और ओहदा) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर

*यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र की वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी (लाइसेंस शर्तों की धारा 15 भी देखिए)।

टिप्पणी :—

- (1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय निर्णीत किया जाता है।
- (2) बैंक गारंटी का मूल्य देखें उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 7 संविधा के वास्तविक लागत तथा भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा मूल्य होगा और इस पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को मुद्रा विनियम (सीमा शुल्क) की प्रचलित दर पर परिवर्तित 1 प्रतिशत और शामिल किया जाएगा।

अनुबन्ध—4

प्राधिकार पत्र की संख्या

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दि० 197

सेवा में,

(जर्मन बैंक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय :—1977-78 (एएल 7665417 के लिए डी० एम० 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य से आपके साथ क्रेडिट के अन्दर जमा लेखापत्र के माध्यम से समुद्रपाल संभरकों को भुगतान करने की क्रियाविधि।

उपयुक्त क्रियाविधि के नियम एवं शर्तों के अनुसार पत्र सं० दि० जो मुख्य लेखाधिकारी, भारत का उच्चायोग, लंदन के द्वारा आपके बैंक को संबोधित किया गया था, से सहमत होते हुए हम एतद्वारा की गई संविधा के मद्दे के द्वारा खोले गए साख पत्र के अन्तर्गत के आयात को समाविष्ट करने के लिए आपको डी० एम० में ऐसी धनराशि की जो (संभरक का नाम) (तीसरे वेश के संभरकों के मामले में लागू होगी) को भुगतान के लिए अवश्य समझी जाए या को (पश्चिमी जर्मनी संभरक के मामले में लागू होगी) डी० एम० में धनराशि के भुगतान करने के लिए अवश्य समझी जाए जैसा भी मामला हो, खर्च करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. प्रत्येक भुगतान के बाव जहाज रानी एवं अन्य प्रकार के प्रलेख (परक्राम्य) को सीधे भेजे जाएं और प्रलेखों (अपरक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श अधोहस्ताक्षरी को सूचनाएं भेजा जाए।

3. उपर्युक्त साख पत्र के अन्तर्गत आपके बैंक प्रभार के द्वारा भारत द्वारा जमा धन से आपके साथ ही तय किया जाएगा।

4. यह प्राधिकार 197 तक वैध रहेगा।

भवदीय,
लेखा अधिकारी

अनुबन्ध—5

विषय :—1977-78 के लिए बी० एम० 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आयात, साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

आयात लाइसेंस संख्या दिनांक
प्रिय महोदय,

..... से पत्र सं० दिनांक के सम्बन्ध में, जिसमें उन्होंने 77-78 के लिए बी० एम० 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आप के बैंक द्वारा साख पत्र खोलने की अनुमति मांगी है, मैं उन्हें विदेशी संभरक को तक भुगतान की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करते हुए आर्थिक कार्य विभाग की पत्र सं०

(एक प्रतिरिक्त प्रति के साथ)

दिनांक संलग्न करता हूँ इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गए साख पत्र के साथ को भेज दिया जाना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साख पत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है जो इसकी धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग-7 की कड़िका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोतलदान की अंतिम तारीख निश्चित होने के बाद साख पत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिन से पहले नहीं है जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है या प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है इनमें से चाहे जो भी पहले हो वही होनी चाहिए। साख पत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उसके पास बैंध आयात लाइसेंस है।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आपके द्वारा की गई संविदा के अनुसार आप सब बलिन सहित जर्मन संघीय गणराज्य में संभरक के लिए बी० एम० में भुगतान को या अन्य देशों के विदेशी संभरकों के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान को और इसके साथ एक प्रतिगत के हिसाब से अनुषांगिक और सीधे प्रभावों को प्रभावी बनाने के लिए

(वेस्ट जर्मनी में नामित बाणिज्य बैंक का नाम)

जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रुपए द्वारा ड्यूसले मार्के में ध्वज की गई धनराशि के समतुल्य रुपये की गणना अगली सूचना के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना संख्या : 15-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 28-1-72 एवं सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आई टी सी- (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा संकेतित अथवा-बदली की मिलीजुली दर से परिगणित की जाएगी। जब कभी विनिमय की आई एम एफ मत दर में परिवर्तन होता है तो यह दर संशोधनाधीन (2) है। संभरक को भुगतान की तिथि से और जिस तिथि को समतुल्य रुपया जमा किया गया है (दोनों दिन मिलाकर) प्रथम तीस दिनों के लिए वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 15% वार्षिक की दर के हिसाब से व्याज भी मरकारी लेख में जमा कराना है। आयातक को आयात प्रलेखों को दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

4. ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 में जमा की जानी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इस के नियंत्रणता (आवेशक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 (आवेशिता और पाने वाला) के नामें निकालने और भुगतान के लिए है, उसके द्वारा जमा की जानी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या: 74/आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई टी सी (पी० एन०)/68,

693 GI/78—2

दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 एवं संख्या: 132-आई टी सी (पी० एन)/71, दिनांक 5 अक्टूबर, 1971 की ओर प्राकृष्ट किया जाता है जिसमें इसे जमा किया जाना है उसका लेखा शीर्ष, "के-डिपोजिट एण्ड एडवांसेज—बी—डिपोजिट नाट वियरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स अण्डर डायरेक्ट सेमेण्ट प्रोसीजर डिपोजिट फार कास्ट आफ एप्लाइज एंड इन्स्यूपमेंट आपटेण्ट अण्डर वेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स क्रेडिट 9 फार 1977-78 (बी एम 1 करोड़ 38 लाख 94 हजार होगा)"।

5. मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त नोट का पूरा विवरण देते हुए एक अपेक्षित पत्र के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपया नकद में जमा करने के मामलों में चालान की एक मूल प्रति आप के द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए :—

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

यू० सी० प्रो० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली।

डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया जमा करने के मामलों में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 में बताया गया है, उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की जो धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए व्याज परिगणित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा किए गए समतुल्य रुपए का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

6. खोले जाने वाले साख पत्र में इस संबंध में एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि विदेशी बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त कोई दावा और/या गारंटी के निष्पादन से संबंधित बैंक गारंटी से होने वाले कोई दावे बीमा कम्पनी और/या डी एम में गारंटी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सीधे ही के एफ डब्ल्यू (लेखा सं० 504 : 09100 ड्यूसले बन्देसवके, फेकफर्ट/मेन) को प्रेषित किये जाने चाहिए।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पत्र की सं० की एक प्रति के साथ प्रति सूचनार्थ उनके ऊपर दिए गए पत्र के संदर्भ में सर्वश्री को प्रेषित।

अनुबन्ध—6

प्रथम

1. जिस नियामक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता।
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य।
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि।
4. साख पत्र के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र के व्यौरे :—
(क) प्राधिकार पत्र की संख्या एवं दिनांक
(ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
5. प्रभावी किए गए आयातों एवं जमा किए गए रुपयों के व्यौरे :—
(क) संभरक का नाम
(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
(ग) वेस्ट जर्मनी में नामित बैंक द्वारा संभरक को किए गए भुगतान की तारीख।

(घ) जमा किए गए रुपए की धनराशि :—

- (1) संभरक को चुकाई गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का सम-तुल्य रुपए। विदेशी मुद्रा की एक एकक की दर से।
- (2) चुकाया गया ब्याज।
- (3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है तक।
- (4) कुल किया गया जमा।
- (5) जमा करने का दिनांक और स्थान।
- (6) राजकोष चालान की सं० एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए।

(क) उपयुक्त (घ) (4) में लिखित गपरा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की सं० दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था, उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।

6. प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मटे प्रयुक्त एवं उपर्युक्त शेष धनराशि (विदेशी मुद्रा में)।

7. इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि उपर्युक्त कंडिका 6 में संकेतित शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई पोलदान नहीं किया गया है तथा उसे समाप्त हुआ समझा जाए।

प्राधिकृत हस्ताक्षर

प्रपत्र					अनुबन्ध-7			
कम्पनी का नाम	निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र	उद्योग की श्रेणी	कम्पनी का पता	आवेदन की धन राशि (रुपए)	आयात लाइसेंस की सं० वि० एवं मूल्य (रुपए में)	संवित्ता का मूल्य (विदेशी मुद्रा में)	साख-पत्र का मूल्य	साख-पत्र का मूल्य के मटे चुकाई गई धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पणी :—डी० एम० 10 लाख के समतुल्य रुपये से अधिक आर्बिटन से संबंधित रिपोर्ट के अतिरिक्त [यदि मुद्रा की दर राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गई हो] लाइसेंसधारी के लिए परियोजना की प्रगति के लिए और परियोजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय के अनुपात के लिए, विशेष अवसर पर, यदि कोई हो, तो अनुबन्ध 8 के रूप में अर्ध वार्षिक रिपोर्ट को भेजना भी आवश्यक होगा और इसके साथ परियोजना के पूर्ण होने तक कम से कम तीन-तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी भेजना आवश्यक होगा।

अनुबन्ध-8

पश्चिम जर्मन पुंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्रगति के लिए अर्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजने का प्रपत्र 30 जून 31 दिसम्बर

1. कम्पनी का नाम तथा पता (प्रधान कार्यालय का पता तथा फैक्टरी का भी पता)।
2. वह राज्य जिसमें यह स्थित है। (जिस राज्य में प्रधान कार्यालय स्थित है यदि उससे भिन्न राज्य में फैक्ट्री स्थित है तो उसका साफ-साफ संकेत किया जाना चाहिए)।
3. क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है या निजी क्षेत्र संस्थान है?
4. उद्योग की वह शाखा जिससे यह संबंधित है।
5. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रेडिट के अन्तर्गत आर्बिटन का मूल्य।
6. मर्दों के विनिर्माण के विवरण के साथ परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
7. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य।
8. डी० एम० में लाइसेंस के अधीन संविदा (ओं) का मूल्य।
9. को डी० एम० में संभरकों को भुगतान की गई धनराशि।
10. यदि आयात लाइसेंस में शेष धनराशि है तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा है तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे आगे संविदा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।
11. समय सारणी रखना, वास्तविक तिथियों के साथ सारणी की तुलना और समय सारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण है।
12. यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारणों सहित परिशोधित समय सारणी।
13. परियोजना की प्रगति :
 - (1) माल का संभरण (सुपुर्दगी की शर्तें)
 - (2) स्थापना (किस्म तथा कोटि)
 - (3) प्रचालन (अन्तिम स्वीकृति, किये गए प्रयोग संभालन के परिणाम)
14. परियोजना की समापन तिथि
15. परियोजना की आर्थिक उलझने
16. क्रेडिट और वित्तीय योजना का कार्यान्वयन :
योजना की वास्तविक मूल्य के साथ तुलना
17. परियोजना को चालू करने से संबंधित कोई विशेष घटनाएं।
18. परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियां)।

टिप्पणी :—ओ लागू न हो उसे काट दें।

**MINISTRY OF COMMERCE,
CIVIL SUPPLIES & COOPERATION
(Department of Commerce)**

PUBLIC NOTICE NO. 72-ITC(PN)/78

New Delhi, the 4th October, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject: Terms and conditions applicable to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 13.894 Million for 1977-78.

F. No. IPC/39/10/76.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the West German Capital Goods Credit of DM 13.894 Million for 1977-78 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX TO DEPARTMENT OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 72-ITC(PN)/78

DATED 4-10-78

Conditions attached to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 13.894 Million for 1977-78.

Section I—General Conditions.

1. (i)—These conditions will apply to such cases of import by public and private sector undertakings as have been specifically approved by the Capital Goods Committee of the Government of India for financing under the West German Capital Goods of DM 13.894 million for 1977-78.

1. (ii)—Where the value of allocation approved by the Capital Goods Committee exceeds the rupee equivalent of DM 1 million [the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962], the prior concurrence of the West German authorities Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form at Annexure I. Till such concurrence from the West German authorities is communicated to the Licensing authorities (CCI&E) by the Department of Economic Affairs, no import licence can be issued in favour of the Indian importer.

1. (iii)—The licence shall bear the superscription "DM 13.894 million West German Capital Goods Credit for 1977-78". The licence code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

1. (iv)—No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channel. Payments towards Indian agent's commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

1. (v)—The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country. The overseas supplier is, therefore, free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

1. (vi)—The minimum value for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 [rupee equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)] which rate of exchange should be indicated in the

import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.]

1. (vii)—The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2 (xii) below, whichever is less subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

1. (viii)—Firm orders (meaning thereby Purchase Order by the Indian Licensee on the foreign supplier supported by order confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier) must be finalised within a period of 4 months from the date of issue of the import licence [vide Para I (ix) below] Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

1. (ix)—If firm orders, as explained in Para I (viii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period along with justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension, will be authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

1. (x)—It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

1. (xi)—In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para I (ix) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section II—Special points to be kept in view while concluding purchase contracts.

2. (i)—The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian Rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purpose of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74, dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

2. (ii)—Supply orders should be placed either on CIF or C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

2. (iii)—It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers. In this connection it may be noted that the Indian importer is free to import from any country of his choice, as approved by the Capital Goods Committee of the Government of India.

2. (iv)—Minimum value of eligible contract—Provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000 (in the case of purchases made wholly from the Federal Republic of Germany) or equivalent of DM 30,000 (in the case of purchases made wholly or partly from countries other than the Federal Republic of Germany) it is permissible for the importer to enter into individual purchase contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2(xiii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

2. (v)—The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India and the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 13,894 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less [calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs)] the approval of the contracts will not be specifically intimated to the importer. Once the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KfW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KfW also unless the KfW raises any objection subsequently in which event the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 1 million [calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)] the approval of the KfW will be first obtained by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract along with a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign suppliers are required to be sent by the Indian importer to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs KfW (Act/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt) from the date of conclusion of the purchase contract.

2. (vi)—Where contract is placed on CIF basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims, would be made directly in DM to KfW (Act/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (vii)—Where contracts are placed on C&F basis, the marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However the Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (WE-I Section) along with the contract documents :—

"We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers for any replacement that may be necessitated by loss or damage to goods.

2. (viii)—As the contracts are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2(ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2. (ix)—Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit, as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for this purpose.

2. (x)—As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers. Shipments can be made from the country in which suppliers are created or from a third country.

2. (xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin or, in the case of purchases from other countries, for contracts the DM equivalent of whose value exceeds DM 1 million, the purchase contracts should provide for furnishing of performance guarantee by the foreign supplier in regard to the performance of the goods supplied (in the case of other contracts, namely for contracts whose value is less than the limit indicated above, the Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign supplier). The form of the performance guarantee can however be settled by the Indian importer with the foreign supplier by mutual consent. It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditanstalt für Wiederaufbau (Acct. No. 504 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (xii)—Payments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31-12-1980. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 31-12-1980. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts and Audit, U.C.O. Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 31-10-1980. Such requests will be considered on merits.

2. (xiii)—In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million, the purchase contracts are required to be submitted by the Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

Section III.—Payment to foreign suppliers—'Special' Letter of Credit Procedure.

3. (i) Request for issue of letter of authority.—Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 1 million [at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)] or within a fortnight from the date of communication of the Government of India [vide para 2(v)(c) above] conveying the approval of KfW to the contracts placed against an import licence whose value exceed the rupee equivalent of DM 1 million [at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)], as the case may be the licence should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section, North Block, New Delhi with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

(i) Three copies of the Purchase Order; and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers, respectively or photo copies thereof. Attested copies or

the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such Agents are not acceptable.

- (ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.
- (iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian Bank authorised to deal in foreign exchange, (not applicable in the case of Public Sector imports).
- (iv) In the case of C & F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.
- (v) A certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign supplier; and
- (vi) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2(xiii) above.

(b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million.—In addition to the contract documents furnished earlier (in respect of which KFW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) vide para 2(v) (c) above or, the following documents should be submitted :—

- (i) A request (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.
- (ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange, (not applicable in the case of Public Sector imports); and
- (iii) In the case C & F contract, three copies of the undertaking from the Indian Insurance Company vide para 2(vii) above.

3. (ii) It is clarified that in the case of public sector imports no bank guarantee is required.

3. (iii) Opening of Letter of Credit.—Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority of any one of the following 7 commercial banks in West Germany designated for this purpose :—

- (i) The Bayerische Vereinsbank, Munich.
- (ii) The Commerzbank A. G. Frankfurt.
- (iii) The Deutsche Bank A. G. Hamburg.
- (iv) The Dresdner Bank A. G. Jungfernstief, Hamburg.
- (v) Berliner Handels Gesellschaft Frankfurter Bank.
- (vi) State Bank of India, Frankfurt.
- (vii) Vereins-Und-West Bank, Hamburg.

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the seven banks mentioned in para 3(iii) above.

3. (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million, as the case may be, may be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

3. (v) Bank Guarantee amount for which it should be executed.—The Bank Guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is

sought plus 1 per cent of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure-V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6-6-74. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the D.M. amounts spent by the designated commercial Banks in West Germany in arranging payments to the foreign supplier i.e. either in DM if the foreign supplier is situated in West Germany (including Land Berlin) or the DM amount for effecting payment in the currency of any other country in which the foreign supplier is located, in terms of the Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 and 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 as amended from time to time. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3. (vi) Issue of Letter of Authority.—If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts & Audit) Department of Economic Affairs, U.C.O. Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated commercial Bank in West Germany (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the foreign supplier i.e. either in DM if the foreign supplier credit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial Bank in West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian licensee. The original Letter of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original Letter of Authority to the designated commercial Bank in West Germany along with Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be as in Annexure-V). A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No Bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para has been received by such a Bank directly from the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

3. (vii) The "special" Letter of Credit on the designated commercial Bank in West Germany should be opened within thirty days from the date of the issue of Letter of Authority under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance U.C.O. Bank Building, Parliament Street, New Delhi. Otherwise the Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

3. (viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commercial Bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. Even where the foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany (including Land Berlin) the negotiation and payment of documents would be done by the designated commercial Bank in West Germany. The designated commercial Bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than the Federal Republic of Germany, the designated commercial Bank in West Germany will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3. (ix) Incidental bank charges incurred by the both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial Bank in West Germany through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV—Responsibility for Rupees Deposits into Government Account :

4. (i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial Bank in West Germany both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries, to the concerned bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents to the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier or the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the designated commercial Bank in West Germany plus 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges, together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into Government Account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated the 16th June, 1976, the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made into the Government Account on or after 15th June, 1976.

- (i) where deposits are made within 30 days after from the date of payment to the supplier. 9% per annum
- (ii) where rupee deposits are made more than 30 days after the Date of payment to the supplier.
 - (a) for the first 30 days 9% per annum
 - (b) for period in excess of 30 days 15% per annum

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the original shipping documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers.

4. (ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968 as amended vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is : "K-Deposits and Advances—b—Deposits not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Direct Payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit VXi for 1977-78 (DM 13,894 millions Credit)".

4. (iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974.

4. (iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which has issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1 along with a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German Bank.

4. (v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also

fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4. (vi). After the imports under a licence are completed and the importers/bankers have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-VI to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V—Alteration in the contract :

Any material alteration in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KFW authorities, whether it results in earlier payments, or in postponement of payments.

Such alteration(s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi, (WE-I Section, North Block) for securing the approval of the Government of India/KFW in the same manner as explained in para 2(v) above.

Section VI—Reporting :

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section Room No. 269, North Block), New Delhi showing progress of ordering delivery of goods, payments to foreign suppliers, etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 million (at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) the licensee should, in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure VIII (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) of the Indian importing company for at least three years until completion of the project.

Section VII—Miscellaneous Provisions :

7.—(i) The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

7. (ii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importer and the foreign supplier.

7. (iii) Compliance with Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the DM 894 million Capital Goods agreement with the KFW authorities.

7. (iv) Breach or Violations :

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7. (v) List of Annexures—

Annexure-I—Project data form.

Annexure-II—Form of Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-III—Form of Bank Guarantee.

Annexure-IV—Form of Letter of Authority.

Annexure-V—Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority.

Annexure-VI—Form of report of rupee deposits-cum-application for release of Bank Guarantee.

Annexure-VII—Form for submitting quarterly report.

Annexure-VIII—Form of Half-yearly Progress Report (applicable to cases exceeding rupee equivalent of DM 1 million).

ANNEXURE-I

PROJECT DATA FORM

KREDITANSTALT FUR WIELDERAUFBAU

6, Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany Palmengartenstrasse 5-9

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

PROJECT DATA

(1) Applicant (Firm)—

- (a) Registered Office (address incl. State)
- (b) Public Sector or private sector undertaking.
- (c) Business Line/Branch of Industry.
- (d) Partners of Company.
- (e) Foreign Collaboration Agreement.

(2) Type of capital goods to be financed.

(3) Choice of capital goods based on—please indicate the procurement procedure followed. Since the Capital Goods Loan is available for purchases from any country, an indication should be given whether tender enquiries were made/floated in various countries and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.

(4) Suppliers (name and address).

(5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required)

(6) Local and foreign exchange cost of the whole Project, with following break-down of figures

- Land and building
- Machinery and equipment
- Operating Funds
- Miscellaneous

(7) Local and foreign financial sources for the whole project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by this application are met).

(8) Letter of Intent for Industrial Licence received.

(9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.

(10) Capacity.

(a) Average utilization of existing capacity during the last two years.

(b) In case of under utilization, please give main reasons.

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment—

- (a) Present number of employees.
- (b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the project.

ANNEXURE-II

REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To

The Controller of Aid Accounts & Audits,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi-1.

SUBJECT :—Import of— from—
under West German Capital Goods Credit for
1977-78 (DM 13.894 million Credit).

Sir,

In connection with the import of— from— under the above mentioned West German Capital Goods Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening the letter of credit through— on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A.G., Frankfurt or Deutsche Bank, A.G., Hamburg or the Dresdner Bank, A.G., Jungferstief, Hamburg or the Frankfurter Bank, Frankfurt/AM Main or State Bank of India, Frankfurt or Vereins-Und West Bank, Hamburg.

(a) Name and Address of the Importer :

- (i) Whether a public or private sector undertaking.
- (ii) Category of industry to which it belongs.
- (iii) The State in which it is located.

(b) Number, date and value of licence, (photostat copy of the licence should be attached).

(c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers, indicating payment terms viz., (c.i.f. or C&F) (In no case, Letter of Authority should be applied for f.o.b. value only).

(d) A certificate in duplicate that firm orders (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry of Finance's letter authorising extension of time for placing firm orders as the case may be, should be attached.

(e) A certificate in triplicate that firm orders have been placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers and that the lowest technically suitable offer has been accepted. In case it is not possible to obtain comparable bids, e.g. proprietary item, full justification therefore should be furnished.

(f) Short description of the goods to be imported.

(g) Net foreign currency amount payable to Suppliers (to be expressed in the currency of the country in which suppliers is located) for which Letter of Authority is required (excluding Agency commission).

(h) Amount of agency commission in foreign currency and Name and Address of Indian Agent.

(i) In case the supplier happens to be located in a country other than West Germany, the name of the supplier's bank to whom the amount is to be remitted by the designated Commercial bank in West Germany should be indicated.

(j) Expected date of completion of delivery.

(k) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) In the case of import licence upto a value which is equivalent to DM 1 million, a certificate that all the contracts against the import licence have been placed and that no further contract will be placed

The Letter of Credit will be opened through :—
(Name and address of the Indian scheduled bank, authorised to deal in foreign exchange)

and the Bank Guarantee No. _____ dated _____
for Rs. _____ furnished by
the above mentioned bank and which has been fully adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully,
(Licensee)

Copy forwarded to _____
Bank, for information.

ANNEXURE-III GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government (having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of _____ by _____ (hereinafter called the importer) against the licence No. _____ dated _____ issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1977-78 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, we _____ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the _____

(Name of the Commercial Bank in West Germany) nominated by the importer converted at the prevailing rate of exchange calculated as per Instructions issued by the Government in the matter from time time plus 1 per cent thereon within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by Government of India under the said credit together with interest therein at the rates of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupees equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the designated commercial Bank in West Germany will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the _____ Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. _____ or any part thereof ; for the time being due and payable by the importer together with interest thereupon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ Bank shall be final and binding on us _____ Bank.

3. We _____ Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of his guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We _____ Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the _____ Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the _____ Bank shall not

be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision, have the effect of so releasing the _____ Bank from its such liability.

6. We _____ Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the _____ day of _____ (month) _____ 19____. Unless claims under the guarantee are made in writing within 6 months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto _____, all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____
for _____ Bank.

Accepted for and on behalf of
the President of India, by Shri
(Name and designation).
Signature

Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date upon which the Letter of Authority is required to be kept valid.

Notes :—(1) The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

(2) The value of the Bank Guarantee vide paras 2 & 7 above shall be arrived at after adding 1 per cent to the net C & F or CIF value of the contract converted into rupees at the Customs Exchange Rate prevailing on the date of issue of the Import Licence.

ANNEXURE-IV

LETTER OF AUTHORITY NO. _____

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs

.....
New Delhi, the _____ 197

To

(Name & Address of the German Bank)

Dear Sirs,

Subject :—Procedure for payments to overseas suppliers through the Letter of Credit Cover Deposit Account with you under DM 13,894 million Capital Goods Credit for 1977-78 (AL—) from the Federal Republic of Germany.

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, agreed upon through letter No. _____ dated the _____ addressed to your Bank by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay (the amount in foreign currency concerned) to (name of the supplier) (applicable in the case of third country suppliers) or to pay an amount of DM _____ to _____ (applicable in the case of West German supplier), as the case may be, under the letter of credit to be opened by _____ for covering the import of _____ against contract entered into by _____.

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to _____ and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to the undersigned for information.

3. Your banking charges under the above letter of credit will be settled directly with you by the _____ by remittance from India.

4. This authority will remain valid upto _____ 197

Yours faithfully,
(Accounts Officer)

ANNEXURE-V

Subject :—Import under West German DM 13.894 Million Capital Goods Credit for 1977-78 Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit Import Licence No. _____ dated _____

Dear Sirs,

With reference to letter No. _____ dated the _____ from the _____ in which they have requested permission for opening a letter of credit through your bank under the West German DM 13.894 Million Capital Goods Credit for 1977-78, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No. _____

(with the spare copy)

Dated the _____ authorising them to arrange payment upto _____ to the foreign supplier. The letter of Authority should be sent by you to the _____ alongwith the letter of credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding _____ within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10, Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days, after the final date for shipments stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid Import Licence.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the designated Commercial Bank in West Germany) to effect payments in D.M. to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries plus 1 per cent towards incidental and Commitment Charges in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the _____

The rupee equivalents of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21-7-72 and 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-76 until further notice. This rate is subject to revision if and when the IMF parity rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the suppliers and the date on which the rupee equivalents are deposited (both days inclusive) is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts, before the shipping documents are handed over to the importers.

4. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC(PN)/78, dated the 24th October, 1968 as amended by Public Notice to 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-74 and No. 132-ITC(PN)/71, dated the 5th October, 1971. The head of

account to be credited is : "K-Deposits and Advances-b-Deposits not bearing interest-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc. abroad under Direct Payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit IX for 1977-78 (DM 13.894 million Credit).

5. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominating German Bank.

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

6. A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the foreign Insurance Company and/or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to KFW (Account No. 504 : 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to M/s _____ with a copy of the Letter of Authority No. _____ for information, with reference to their letter quoted above.

Accounts Officer.

ANNEXURE-VI

Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence number and date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.
4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.
 - (a) Number and date of the Letter of Authority.
 - (b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency).
5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.
 - (a) Name of suppliers.
 - (b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.
 - (c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany.
 - (d) Amount of rupee deposits :—
 - (i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier @ (1 unit of foreign exchange = Rs. _____)
 - (ii) Interest paid.
 - (iii) Period for which the interest has been calculated from _____ to _____
 - (iv) Total deposit made.

- (v) Date and place of deposit.
- (vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.
- (vii) If the rupee deposit mentioned in (d)(iv) above was made by means of Demand draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.
6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each Letter of Authority.
7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatures)

PROFORMA

Name of company	Private Sector/ Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of allocation Rs.
1	2	3	4	5

ANNEXURE-VII

No. date & value of I.L. Rs.	Value of contract (foreign currency)	Value of L.C.	Amount paid against the LC (foreign currency)
6	7	8	9

Note.—In respect of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 million [If the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)], the licensee will be required to submit in addition half yearly report as in Annexure-VIII on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

ANNEXURE-VIII

PROFORMA FOR SUBMISSION OF HALF YEARLY REPORTS ON PROGRESS OF PROJECTS FINANCED UNDER WEST GERMAN CAPITAL GOODS CREDIT 30th JUNE

31st December

1. Name of Company and address (Address of Head Office and also address of factory).

2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head Office is located, it should be clearly indicated).
3. Whether a public sector or private sector undertaking.
4. Branch of Industry to which it belongs.
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India.
6. Brief Description of the project including description of the Capital Goods items of manufacture.
7. No., date and value of the import licence.
8. Value of supply contract(s) under the licence in DM.
9. Amount paid to the suppliers as on _____ in D.M.
10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting.
11. Keeping of time schedule comparison of schedule with actual dates, reasons for changing the time schedule.
12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor.
13. Progress of the Project
 - (i) Supply of the goods (terms of delivery)
 - (ii) Erection (kind and quality)
 - (iii) Commissioning (final acceptance, trial runs results of operations).
14. Date of completion of the Project.
15. Economic implication of the project.
16. Realisation of the Cost and Finance Plan Comparison of plan with actual values.
17. Any special events connected with the implementation of the project.
18. Latest annual report of the Project sponsor (2 copies).

N.B. : Strike out the portions not applicable.